भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1073
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

भारतीय विधिक सेवा में रिक्तियां

1073 श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) के संवर्ग में स्वीकृत पदों में से लगभग 53 प्रतिशत पद रिक्त हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित एजेंसियों जैसे डीओपीटी, यूपीएससी और एसएससी के साथ परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या विधायी विभाग और इसकी दो स्कन्धों में 50 प्रतिशत रिक्तियां है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों के इसके कार्य-प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ड) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के काम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : वर्तमान में भारतीय विधिक सेवा संवर्ग में 157 पदों में से लगभग 63 पद रिक्त हैं, जो भारतीय विधिक सेवा संवर्ग के कुल संवर्ग संख्या का 40% है। इसके अतिरिक्त विधायी विभाग में, 461 पदों में से लगभग 171 पद रिक्त हैं जो कुल पदों का 37.09% है । तथापि दोनों विभागों द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है । इन रिक्तियों में से प्रोन्नति कोटा के अधीन आने वाली इन रिक्तियों को भरने के लिए डीपीसी प्रस्तावों को यूपीएससी, जो कि नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए नोडल प्राधिकारी है, को नियमित रूप से भेजे जाते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है ।

****